

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती गोमती शर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या ९२/२०१९

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये तहसीलदार सायला तहसील सायला जिला जालोर		श्री फुलाराम वल्द ताराराम वगैरह कौम नेघवाल निवासी बावतरा

प्रार्थनापत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६  
बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती

उपस्थित- १. सरकारी पैरोकार ( तह० सायला) प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक २०/५/१९

संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि डीआईएलआरएमपी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग के दौरान जांच में जमाबन्दी एवं नक्शे में उपलब्ध खसरो के मिसमेच होने पर सैटलमेंट के दौरान हुई गलतियां पाई गई जिसे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम १९५६ के तहत शुद्ध किये जाने बाबत ग्राम बावतरा की मिसल बन्दोबस्त २०५१ से २०७० में खसरा नम्बर ६६५/१९७० रकबा १.९३ हे., फुलीया वल्द तारा कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् २०७२-७५ में भी उक्त खसरा नम्बर ६६५/१९७० रकबा १.९३ हे., में फुलाराम वल्द ताराराम कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार रहन एमजीबी शाखा मेंगलवा दर्ज है । उक्त खसरा नम्बर पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा, तहसील में उपलब्ध मोमीया ट्रेस एवं शीट में भी अंकित नहीं है । मौके पर उक्त खसरे की पृथक से माठ कायम की हुई है अतः उक्त खसरा नम्बर की तरमीम संलग्न प्रस्ताव के अनुसार किया जाना उचित है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबस्त में है एवं शीट में नहीं है, जो सैटलमेंट की गलती है लिहाजा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व नियम १९५६ के तहत दर्ज कर नियमानुसार आदेशित करवाने का निवेदन किया है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सह खातेदार को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी का नोटिस बाद तागिल प्राप्त हुआ व अप्रार्थी द्वारा ग्राम बावतरा के खसरा नम्बर ६६५/१९७० रकबा १.९३ हे. आई हुई जो राजस्व नक्शे में दर्ज नहीं है उक्त खसरा नम्बर को प्रस्तावित अनुसार नक्शे में तरमीम किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

ॐ

तहसीलदार सायला, भू.अ. निरीक्षक एवं संबंधित पटवारी हल्का के सयुक्त हस्ताक्षररार्थ से अपनी जांच रिपोर्ट एवं उपर्युक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम बावतरा की मिसल बन्दोबस्त 2051 से 2070 में खसरा नम्बर 665/1970 रकबा 1.93 हे., फुलीया वल्द तारा कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है एवं तदनुसार जमाबन्दी संवत् 2072-75 में भी उक्त खसरा नम्बर 665/1970 रकबा 1.93 हे., में फुलाराम वल्द ताराराम कौम मेगवंशी सा.देह खातेदार रहन एमजीबी शाखा भेंगलवा दर्ज है । उक्त खसरा नम्बर पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा, तहसील में उपलब्ध मोमीया ट्रेस एवं शीट में भी अंकित नहीं है । मौके पर उक्त खसरे की पृथक से माठ कायम की हुई है अतः उक्त खसरा नम्बर की तरमीम संलग्न प्रस्ताव के अनुसार किया जाना उचित है। चूंकि उक्त खसरा नम्बर मिसल बन्दोबस्त में है एवं शीट में नहीं है, जो सैटलमेंट की गलती है प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 665/1970 रकबा 1.93 हे. को नक्शे में दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया। हम तहसीलदार सायला की जांच रिपोर्ट से सहमत हैं तथा तहसीलदार की जांच व अनुशांथा अनुसार सरहद मोजा बावतरा के खसरा नम्बर 665/1970 रकबा 1.93 हे. को नक्शे में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर सरहद मोजा बावतरा के खसरा नम्बर 665/1970 रकबा 1.93 हे. को संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार नक्शे में दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। संलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। रेकॉर्ड में दुरुस्ती हेतु तहसीलदार सायला को तहरीर जारी हों।

आदेश दिनांक ..... 20/5/19 ..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(गोमती शमी)  
उपखण्ड अधिकारी  
सायला